बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(II)य[1] – 33/2007– / पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना में संचालित नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की योजनान्तर्गत सृजित पद पर कार्यरत श्री सुशील कुमार मिश्र, व्याख्याता (वरीय वेतनमान) को दिनांक 01.01.2000 से व्याख्याता (प्रवर कोटि) में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके बकाये वेतन एवं भत्ते के भुगतानार्थ रू॰ 46,00,000=00 (छियालीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने एम॰जे॰सी॰ संख्या–1438/2015, शिवशंकर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत अधिसूचना संख्या–392, दिनांक 16.02.2017 के आलोक विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना में संचालित नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की योजनान्तर्गत सृजित पद पर कार्यरत श्री सुशील कुमार मिश्र, व्याख्याता (वरीय वेतनमान) को दिनांक 01.01.2000 के प्रभाव से व्याख्याता (प्रवर कोटि) में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके बकाये वेतन एवं भत्ते के भुगतानार्थ रू॰ 46,00,000=00 (छियालीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	विषयशीर्ष	राशि (रूपये में)
1.	वेतन	24,00,000
2.	जीवन यापन भत्ता	21,00,000
3.	मकान किराया भत्ता	1,00,000
	कुल योग	**46,00,000**

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, योजना बजट के "मुख्यशीर्ष –2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 112– इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन वेतन एवं भत्ते विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड– पी 2203001120101 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना होंगे।

5. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(II)य^{1}– 33 / 2007– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(II)य^{1}– 33 / 2007– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(II)य^{1}– 33 / 2007– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(II)य^{1}– 33 / 2007– 574 / पटना, दिनांक 28/2/2017

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव